संख्या- 13/2023/84/छप्पन-2023-31/2016(CC)

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 15 फरवरी, 2023

विषय: नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में हुए व्यय में राज्य सरकार की अंशधारिता के अनुसार धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-249/ए0एफ0-2022-116/2016 दिनांक 13 फरवरी, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम हेतु की गयी 1757 बसों की व्यवस्था में निहित कुल धनराशि 1,63,70,662/- में से 1000 बसों के लिए पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0 1,18,16,000/- को कम करते हुए (1,63,70,662-1,18,16,000) अवशेष रू0 45,54,662/- में से NIAL में राज्य सरकार की 37.5% अंशधारिता की धनराशि रू0 17,07,998/- (रूपए सत्रह लाख सात हजार नौ सौ अठ्ठान्नवे मात्र) के भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन हेतु प्रदान करने तथा वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त बजट एलाटमेंट सिस्टम के माध्यम से बजट भी आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में हुए व्यय के अन्तर्गत मांग की गई धनराशि रू0 6,58,81,128/- में से अन्य व्यय की धनराशि रू0 63,46,456/- को कम करते हुए धनराशि रू0 5,95,34,672/- (रूपए पॉच करोड़ पचानवे लाख चौंतीस हजार छ: सौ बहत्तर मात्र) में से NIAL में राज्य सरकार की अंशधारिता 37.5% के अनुसार धनराशि रू0 2,23,25,502/- (रूपए दो करोड़ तेईस लाख पच्चीस हजार पाँच सौ दो मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या- 34/2022/517/छप्पन-2022-31/2016 (CC) दिनांक 30 मार्च, 2022 द्वारा निर्गत की गई थी।

नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में हुए अन्य व्यय की धनराशि रू0 63,46,456/- के स्थान पर अन्य व्यय की वास्तविक धनराशि रू0 62,22,511/- के अन्तर्गत राज्य सरकार की 37.5% अंशधारिता के अनुसार धनराशि रू0 23,33,442/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-68/2022/1229/छप्पन-2022-31/2016(CC) दिनांक 05 सितम्बर, 2022 द्वारा निर्गत की गई।

इस प्रकार नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में हुए व्यय के अन्तर्गत उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2022 तथा शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 2022 के द्वारा धनराशि रू0 2,46,58,944/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम हेतु की गई 1757 बसों की व्यवस्था में निहित कुल धनराशि रू0 1,63,70,662/- में से 1000 बसों के लिए पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0 1,18,16,000/- को कम करते हुए (1,63,70,662-1,18,16,000) अवशेष धनराशि रू0 45,54,662/- में से NIAL में राज्य सरकार की 37.5% अंशधारिता के अनुसार धनराशि रू0 17,07,998/- (रूपए सत्रह लाख सात हजार नौ सौ अठ्ठान्नवे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम हेतु की गई बसों की व्यवस्था में निहित कुल धनराशि में से NIAL के शेष अंशधारकों (नॉएडा/ग्रेटर नॉएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) द्वारा अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के खाता संख्या-003101220785, ICICI बैंक, आई0एफ0एस0सी0 कोड ICIC0002183 में तत्काल हस्तान्तरित कराई जाए।

(8) शासनादेश संख्या- 34/2022/517/छप्पन-2022-31/2016 (CC) दिनांक 30 मार्च, 2022 तथा शासनादेश संख्या-68/2022/1229/छप्पन-2022-31/2016(CC) दिनांक 05 सितम्बर, 2022 में इंगित शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगी।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 17,07,998/- (रूपए सत्रह लाख सात हजार नौ सौ अठ्ठान्नवे मात्र) तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर रखी जाएगी, जिसे जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के खाता संख्या-003101220785, ICICI बैंक, आई0एफ0एस0सी0 कोड ICIC0002183 में हस्तान्तरित किया जाएगा।

5- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत पूंजी लेखा "लेखा शीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य" से वहन की जाएगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-308/दस-2022-23, दिनांक 10 फरवरी, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

संख्या- 13/2023/84(1)/छप्पन-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा/ग्रेटर नॉएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम हेतु की गई बसों की व्यवस्था में निहित कुल धनराशि में से NIAL के शेष अंशधारकों के रूप में अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि तत्काल यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के खाता संख्या-003101220785, ICICI बैंक, आई0एफ0एस0सी0 कोड ICIC0002183 में हस्तान्तरित करने का कष्ट करें।

4- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

5- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

6- कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ गौतमबुद्धनगर।

8- विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया), नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, गौतमबुद्धनगर।

9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.

10- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।